न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 89/2014

1. राजेन्द्र कुमार
2. सन्तोष कुमार

पिसरान जीतराम नाबालिगान जरिये माता व कुदरती वली कलावती पत्नी जीतराम

3. कलावती पत्नी जीतराम जाति नायक निवासी ओढ़ाववाल ढ़ाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थीगण

बनाम

1. मामकौरी पत्नी नानूराम जाति नायक निवासी अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।
2. जेतराम पुत्र नानूराम जाति नायक निवासी अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।
3. थ्गरदावरी देवी पत्नी सतपाल जाति नायक निवासी चक 18 एन पी (मालसर) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
4. कृष्ण कुमार
5. महावीर
6. बुधराम

पिसरान रजीराम जाति नायक निवासी ओढ़ावाली तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 19.04.2014

उपस्थितिः—

श्री श्री रमेश सिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सन्दीप बिश्नोई अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांक 25.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ

25/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने करने का निवेदन किया कि वे चक 3 एस पी एम के खाता संख्या 85/73 मु0न0 18 के कि.न. 1 से 20 की 20 बीघा रहन बैय आदि द्वारा मुन्तकिल नहीं करे । अप्रार्थी संख्या 3 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के खारिज कर दिया जबकि प्रार्थीगण का हर प्रकार से मामला बनता था । अतः अपील स्वीकार करते हुए धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उचित हैं अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 19.09.2014 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 खारिज किया गया गया है जो स्पीकिंग आदेश नहीं होने से अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावल का अवलोकन किया । अधी.न्यायालय के निर्णय का कियात्मक अंश है कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रा.पत्र जबाब प्रा.पत्रों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपर्णीय क्षति के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत आदेश पारित करना होता है। प्रथम दृष्टया मामला– मौजूदा प्रकरण में विवादित भूमि का अप्रार्थी सं. 3 ने बैयनामा पेश किया है। पानी की पर्ची भी अप्रार्थी सं. 3 ने अपने नाम जाहिर की है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रार्थी के कब्जा

25/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

काश्त में नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहें हैं। अतः यह बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है। सुविधा का संतुलन – प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी के अलावा अपने प्रा.पत्र के साथ किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई एवं रिकार्ड आफ राइट के अभाव में यह बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है। अपूर्णीय क्षति :– कब्जा एवं रिकार्ड आफ राइट के अभाव में प्रथम व द्वितीय बिन्दु प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहने के कारण यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के निष्कर्ष अनुसार प्रार्थीगण धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। मूल वाद विचाराधीन है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 से जरिये रजि.बैयनामा रकबा खरीद किया है। बैयनामा की वैधानिकता को सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राजस्व न्यायालय से प्रार्थीगण अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जाता है।

अपील मीमों में अधी. न्यायालय के निर्णय के विवेचन बाबत कोई पुख्ता आपत्ति पेश नहीं की। अधी. न्यायालय का निर्णय राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 212 के तीनों कारकों प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन कर निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइस नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर